

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2013—चैत्र 16, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच-पार्ट (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची दो के कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 7 पर उल्लिखित पद “सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी” के सामने, कालम (5) में, अंक “100 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “50 प्रतिशत वाणिज्यिक कर निरीक्षक से तथा 50 प्रतिशत कराधान सहायक से” स्थापित किए जाएं.
- (2) अनुसूची चार के कालम (2) में, अनुक्रमांक 6 के सामने, शब्द “वाणिज्यिक कर निरीक्षक” के स्थान पर, शब्द “वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच-पार्ट (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6-42-1995-1-पांच-पार्ट (29), दिनांक 6 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th April 2013

No. F-A6-42-1995-1-V-Part (29).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Taxation (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In column (2) of Schedule II, against the post mentioned at serial No. 7 “Assistant Commercial Tax Officer”, in column (5) for figure “100%” the figures and words “50% from Commercial Tax Inspector and 50% from Taxation Assistant” shall be substituted.
- (2) In column (2) of Schedule IV, against serial No. 6 for the words “Commercial Tax Inspector”, words “Commercial Tax Inspector and Taxation Assistant” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

H. U. KHAN, Addl. Secy.